"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 118] रायपुर, शनिवार, दिनांक 23 मई 2009—ज्येष्ठ 2, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-19/2009/वा. कर (आब.)/पांच (29).—छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (34) बी-5-1-96-वा. कर-पांच, दिनांक 27 दिसम्बर, 1996 को अधिक्रमित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यटन प्रोत्साहन योजना, 2006 के अंतर्गत पर्यटन हेतु घोषित महत्वपूर्ण स्थलों में निम्नलिखित केन्द्रों को, सामान्य परिक्षेत्र में संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 5 वर्षों तक की अवधि के लिए तथा अनुसूचित क्षेत्रों में संचालन प्रारम्भ होने की तिथि से 10 वर्षों तक की अवधि के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दर से 50 प्रतिशत मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है :—

मनोरंजन के केन्द्र

(1) हेल्थ फार्म (क्लब)

(2) मनोरंजन पार्क

(3) वाटर पार्क

(4) साहसिक/मनोरंजन गतिविधियों के केन्द्र

(5) अन्य कोई मनोरंजन से संबंधित योजना, जो छत्तीसगढ़ शासन, पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित/अनुमोदित की जाये.

2. ऊपर विनिर्दिष्ट मनोरंजन केन्द्र इस छूट की सुविधा के लिए तभी पात्र होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल से करों में छूट संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रसारित किए जाये कि, ऐसे केन्द्र उपर्युक्त मनोरंजन केन्द्रों की श्रेणी में आते हैं.

3. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 मई 2009

क्रमांक एफ 10-19/2009/वा. कर (आब.)/पांच (29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-19/2009/वा. कर (आब.)/पांच (29), दिनांक 23-5-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd May 2009

NOTIFICATION

No. F 10-19/2009/(Ex.)/V/(29).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Chhattisgarh Entertainments Duty and Advertisement Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) and in supersession of this Department Notification No. (34) B-5-1-96 CTC-V, dated 27th December, 1996, the State Government hereby exempt the following Centres of entertainment at places declared to be important for Tourism by the Government Chhattisgarh, Tourism Department under Chhattisgarh, Tourism incentive Scheme, 2006 from 50 percent of entertainment duty rate specified under clause (A) of sub-section (1) of section 3 of the said Act, for a period of 5 years in General area and for a period of 10 years in Scheduled area from the date of their Commencement :—

(1) Health Farms (Club)
(2) Entertainment Park
(3) Water Parks
(4) Centre from Adventure/Sport activities
(5) Any other Scheme of Entertainment, which is notified/approved by the Government for Chhattisgarh Tourism Department.

2. Other centres of Entertainments specified above shall be eligible for the benefit of this exemption only when, No Objection Certificate is issued by Chhattisgarh Tourism Board, that such centres belong to the above category of entertainment centres.

3. This Notification shall come in to force from the date of its publication in official Gazzete.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.